

संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

23 JAN 2012

विषय: डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह चौहान, चिकित्सा अधिकारी का उत्तराखंड राज्य राज्य आवंटन पर विचार ।
महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह चौहान द्वारा उनके उत्तर प्रदेश अंतिम आबंटन के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि वह अनुसूचित जनजाति (भोटिया) से संबंधित है तथा उत्तराखंड के मूल निवासी है ।

2. अतः परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 24-06-2010 के क्रम में उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । श्री चौहान के संबद्ध में शासकीय विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कार्मिक है तथा उनका गृह जनपद उत्तराखंड में है । अनुसूचित जनजाति के कार्मिक एवं उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होने के कारण समिति द्वारा श्री चौहान को उत्तराखंड राज्य आवंटित किय जाने कि संस्तुति की गयी ।
3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह चौहान का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

१९

भवदीय,

५५१६

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग Deptt. of Personnel & Trg. प्राप्ति और निगम अनुभाग Receipt & Issued Section
23 JAN 2012
जारी किया/ISSUED
क्र०